



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-27082026-275813
CG-KA-E-27082026-275813

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4574]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 25, 2026/भाद्र 3, 1948

No. 4574]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 25, 2026/BHADRA 3, 1948

रेल मंत्रालय

[दक्षिण पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

बेंगलुरु, 25 अगस्त, 2026

का.आ. 4759(अ).—रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 20च की उपधारा (6) एवं धारा 2 के खंड 7क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल मंत्रालय (दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) द्वारा एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (4) में उल्लिखित अधिकारियों को 'सक्षम प्राधिकारी' तथा कॉलम (5) में उल्लिखित अधिकारियों को 'मध्यस्थ' के रूप में प्राधिकृत किया जाता है, ताकि वे इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी रूप से उक्त अधिनियम के अंतर्गत ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य कर सकें, यह नीचे दी गई तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित विशेष रेल परियोजनाओं, जो कॉलम (3) में उल्लिखित जिले से संबंधित हैं, के संबंध में ऐसी विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन एवं संचालन के लोकहित प्रयोजन हेतु लागू होगी।

तालिका

क्रम सं.	परियोजना का नाम	जिला	सक्षम प्राधिकारी	मध्यस्थ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	हुबबल्ली मंडल- हुलकोटी और गदग स्टेशनों के बीच हुलकोटी - चिक्कंडिगोल रोड में हुलकोटी यार्ड पर कि.मी 46/100-200 पर समपार फाटक संख्या 26 के स्थान पर 1x9.25x5.5 मीटर का आर सी सी बॉक्स आकार के र यू बी का निर्माण करने के लिए प्रस्तावित है	गदग	सहायक आयुक्त, गदग	क्षेत्रीय आयुक्त, बेलगावी

[फा. सं. डब्ल्यू.271/सीएन/बीएनसी/2026-27/भूमि एसआरपी/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण

MINISTRY OF RAILWAYS

[South Western Railway (Construction Organisation)]

NOTIFICATION

Bengaluru, the 25th August, 2026

S.O. 4759(E).—In the exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20F and clause 7A of section 2 of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) the Ministry of Railway (South Western Railway, Construction Organization, Bengaluru Cantonment) hereby authorizes the officers mentioned in column (4) of the table below as 'Competent Authority' and the officers mentioned in column (5) of the table below as 'Arbitrator' to perform the functions as such authority under the said act with effect from date of publication of this notification in the official gazette in respect of Special Railway Projects mentioned in column (2) relating to district mentioned in column (3) of the table below for public purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

SI No	Name of Project	District	Competent Authority	Arbitrator
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Hubballi Division- Proposed Construction of RUB in Lieu of LC No.26 of Size 1x9.25x5.5m RCC Box at Km.46/100-200 at Hulkoti Yard on Hulkoti-Chikkhandigola Road between Hulkoti and Gadag stations	Gadag	Assistant Commissioner, Gadag	Regional Commissioner, Belagavi

[F. No. W.271/CN/BNC/2026-27/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction